न्यामूर्ति कंवलजीत सिंह अहलूवालिया के समक्ष

धरम पाल उपनाम स्वामी कल्याणी,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-उत्तरदाता

सीआरएल. डब्ल्यू. पी. संख्या 2011 का 2042

24 जनवरी, 2012

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-Ss.428,432 482-भारत का संविधान- अनुच्छेद 172, 161, 226, 227 - भारतीय दंड संहिता-Ss.376-506-पंजाब जेल नियमावली-पैरा 635 (2), 639,644 और 645- धारा. 482 Cr.P.C दायर याचिकाएं. याचिकाकर्ता के केवल सजा की अवधि तक छूट को सीमित करने और सुनवाई के दौरान हिरासत की अवधि की माफी नहीं देने में हरियाणा राज्य की आपत्तिजनक कार्रवाई-2010 के सी. डब्ल्यू. पी. 1491 में जोगिंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य के मामले में था, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सुनवाई के दौरान हिरासत को सजा के हिस्से के रूप में माना जाएगा और उस पर छूट दी जाएगी- जोगिंदर सिंह के फैसले में दंड पक्रिया संहिता की धारा 428 की व्याख्या पर संदेह-बड़ी पीठ को संदर्भित किया गया।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि जोगिन्दर सिंह के मामले (उपर्युक्त) के पैरा 4 का समापन भाग, "इस प्रकार संहिता की धारा 428 में यह आदेश दिया गया है कि सजा में मुकदमे के दौरान एक अभियुक्त द्वारा गुजारी गई अवधि भी शामिल है", मेरी विनम्र राय में, धारा 428 की सही व्याख्या नहीं है।चूंकि मुझे जोगिंदर सिंह के मामले (उपरोक्त) में दी गई कानून की व्याख्या पर संदेह है, इसलिए निम्नलिखित प्रश्नों पर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किया जाना आवश्यक हैः

(क) दोषी की सजा कब शुरू होगी?

(ख) क्या किसी अभियुक्त द्वारा विचाराधीन अवधि के दौरान माफी देने पर विचार किया जा सकता है या नहीं?

(ग) विचाराधीन अभियुक्त द्वारा हिरासत में गुजारी गई अवधि को सजा का हिस्सा माना जाना चाहिए या नहीं?

(पैरा 8)

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि जोगिंदर सिंह के मामले (ऊपर) में दी गई व्याख्या कायम रहती है तो उपरोक्त तीन प्रश्नों का उत्तर होगाः

(i) जिस दिन गिरफ्तार किया जाता है, उस दिन से सजा शुरू होगी और इसमें सजा दिए जाने से पहले की अवधि शामिल होगी;

(ii) कि विचाराधीन अवधि को छूट देने के लिए ध्यान में रखा जाएगा;

(iii) विचाराधीन अवधि को सजा का हिस्सा माना जाएगा।

(पैरा 9)

आगे अभिनिर्धारित किया गया कि मेरे विनम्र विचार में यदि जोगिंदर सिंह के मामले (ऊपर) की व्याख्या और ऊपर देखे गए प्रश्नों (ए), (बी) और (सी) के उत्तर (i), (ii) और (iii) को स्वीकृत किया जाता है, तो वे C.r.P.c. की धारा 428 की सही व्याख्या और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कानून के उच्चारण के विपरीत होंगे।इसलिए, जोगिंदर सिंह के मामले (उपरोक्त) में दिए गए फैसले पर इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ द्वारा फिर से विचार करने की आवश्यकता है।

(पैरा 10)

याचिकाकर्ता के लिए एच. पी. एस. औलख, अधिवक्ता ।

रमनदीप सिंह, सहायक महाधिवक्ता हरियाणा राज्य के लिए।

न्यामूर्ति कंवलजीत सिंह अहलूवालिया

(1) वर्तमान आपराधिक रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 C.r.P.c. की धारा 482 के साथ पठित के तहत दायर की गई यह प्रार्थना करते हुए कि याचिकाकर्ता के केवल सजा की अवधि तक छूट को सीमित करने और सुनवाई

के दौरान हिरासत की अवधि को छूट नहीं देने में प्रतिवादी की कार्रवाई को दरकिनार कर दिया जाए क्योंकि यह इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ द्वारा जोगिंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य आदि।' आपराधिक रिट याचिका संख्या 2010 का 1491, 4 जनवरी, 2011 को निर्णित (अनुलग्नक पी-1) के विपरीत है।

(2) दलीलों के दौरान, यह प्रार्थना की गई है कि जोगिंदर सिंह के मामले (उपरोक्त) में दिया गया निर्णय राज्य के अधिकारियों के लिए बाध्यकारी है, और इस प्रकार, उन्हें याचिकाकर्ता द्वारा सुनवाई के दौरान हिरासत की अवधि को गिनना चाहिए और छूट प्रदान करनी चाहिए।वकील के अनुसार, राज्य के अधिकारियों ने पंजाब जेल नियमावली के पैरा No.645 की गलत व्याख्या की है, जिसमें कहा गया है कि कुल छूट सजा के एक-चौथाई हिस्से से अधिक नहीं होगी।

(3) तर्कों और जोगिंदर सिंह के मामले (ऊपर) में निर्धारित कानून पर विचार करने से पहले, मामले के संक्षिप्त तथ्य देना आवश्यक होगा।

(4) धरम पाल उपनाम स्वामी कल्याणी-याचिकाकर्ता को भा.दं.सं. सी. की धारा 376 और 506 के तहत पुलिस स्टेशन महेश नगर, अंबाला में दर्ज प्राथमिकी की संख्या 65 ने दिनांकित 29.03.2003 एक मामले में आरोपी के रूप में नामित किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबाला की अदालत ने याचिकाकर्ता को भा.दं.सं. सी. की धारा 376 और 506 के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी ठहराया और उसे भा.दं.सं. सी. की धारा 376 के तहत 7 साल के लिए कठोर कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना देने और भा.दं.सं. सी. की धारा 506 के तहत आगे 2 साल के लिए कठोर कारावास और Rs.500 का जुर्माना देने की सजा सुनाई। दोनों सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया गया था।उसी के खिलाफ, याचिकाकर्ता ने फोजदारी अपीली संख्या 2005 की 1153-56, जिसे खारिज कर दिया गया था।

(5) राज्य द्वारा दायर जवाब के अनुसार, याचिकाकर्ता को 17.11.2011 तक 5 साल 5 महीने और 19 दिनों की सजा भुगत चूका था।

इसके लिए तैयार किया गया एक चार्ट नीचे दिया गया हैः-

	वाई	एम	डी
1. विचाराधीन अवधि			
24.4.03 से 12.06.05 तक	02	01	19
डीएपी 13.06.05 से 21.07.06 तक	01	01	09
2. दोषसिद्धि की अवधि			
04.05.10 से 17.11.11 तक	01	06	14
3. भुगती गई वास्तविक सजा।	04	09	12
4. छूट (+)	00	05	08
5. सरकार. छूट (+)	00	00	00
	05	02	20
6. कम पैरोल अवधि (-)	00	03	01
7. कुल सजा बीत चुकी	**05**	**05**	**19**

(6) याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाए गए तर्क का योग और सार यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा मुकदमे के दौरान की दो साल, एक महीने और उन्नीस दिनों की हिरासत की अवधि को ध्यान में रखा जाना चाहिए और उस अवधि की छूट भी उसके पक्ष में दी जानी चाहिए, या यदि याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सजा पर छूट दी जानी है तो उसके द्वारा सुनवाई के दौरान हिरासत की दो साल, एक महीने और उन्नीस दिनों की अवधि को भी सजा के रूप में लिया जाना चाहिए।यह कहा गया है कि धारा 428 Cr.P.C. के अनुसार सुनवाई के दौरान हिरासत की अवधि को सजा की अवधि में से निकल देना चाहिए।

(7) इस प्रश्न की जांच करने से पहले, जोगिंदर सिंह के मामले (ऊपर) में निर्धारित कानून पर ध्यान देना आवश्यक होगा, जिसका प्रासंगिक भाग निम्नानुसार हैः

"4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई एकमात्र दलील यह है कि याचिकाकर्ता की कुल सजा को मुकदमे के दौरान और दोषसिद्धि के बाद की कारावास की अवधि माना जाना चाहिए, उसे पंजाब जेल नियमावली के पैराग्राफ 645 के अनुसार छूट दी जानी चाहिए।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 में यह परिकल्पना की गई है कि दोषी ठहराए जाने की तारीख से पहले जांच, जांच या मुकदमे के दौरान किसी आरोपी द्वारा बिताए गए हिरासत की अवधि, यदि कोई हो, ऐसी दोषसिद्धि पर उस पर लगाए गए कारावास की अवधि में से कम कर दिया जायेगा और इस तरह के दोषसिद्धि पर कारावास से गुजरने का दायित्व उस पर लगाए गए कारावास की अवधि के शेष, यदि कोई हो, तक सीमित होगा।इस प्रकार, संहिता की धारा 428 में आदेश दिया गया है कि सजा में मुकदमे के दौरान एक आरोपी द्वारा गुजारी गई हिरासत की अवधि भी शामिल है।"

(8) जोगिंदर सिंह के मामले के पैरा 4 का समापन भाग (ऊपर), "इस प्रकार संहिता की धारा 428 में आदेश दिया गया है कि सजा में मुकदमे के दौरान एक आरोपी द्वारा गुजारी गई हिरासत की अवधि भी शामिल है", मेरी विनम्र राय, में यह धारा 428 Cr.P.C की सही व्याख्या नहीं है. जैसा कि धारा 428 Cr.P.C. विशेष रूप से बताती है कि दोषी ठहराए जाने की तारीख से पहले उसी मामले की अनुसंधान, जांच या मुकदमे के दौरान किसी आरोपी द्वारा हिरासत की अवधि, यदि कोई हो, को तो कारावास की सजा में से कम कर दी जाएगी।

चूंकि मुझे जोगिंदर सिंह के मामले (उपरोक्त) में दी गई कानून की व्याख्या पर संदेह है, इसलिए निम्नलिखित प्रश्नों पर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किया जाना आवश्यक हैः

(क) दोषी की सजा कब शुरू होगी?

(ख) क्या किसी अभियुक्त द्वारा मुकदमे के दौरान हिरासत की रूप में गुजारी गई अवधि को छूट देने के लिए ध्यान में रखा जा सकता है या नहीं?

(ग) अभियुक्त द्वारा मुकदमे के दौरान हिरासत की अवधि को सजा का हिस्सा माना जाना चाहिए या नहीं?

(9) यदि जोगिंदर सिंह के मामले (उपरोक्त) में दी गई व्याख्या कायम रहती है तो उपरोक्त तीन प्रश्नों का उत्तर होगाः

(i) जिस दिन गिरफ्तार किया जाता है, उस दिन से सजा शुरू होगी और इसमें सजा दिए जाने से पहले की अवधि शामिल होगी;

(ii) मुकदमे के दौरान हिरासत की अवधि को छूट देने के लिए ध्यान में रखा जाएगा;

(iii) मुकदमे के दौरान हिरासत की अवधि को सजा का हिस्सा माना जाएगा।

(10) मेरी विनम्र राय में, यदि जोगिंदर सिंह के मामले (उपरोक्त) की व्याख्या और ऊपर देखे गए प्रश्नों (ए), (बी) और (सी) के उत्तर (i), (ii) और (iii) को बने रहने दिया जाता है, तो वे धारा 428 की सही व्याख्या और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कानून के विपरीत होंगे। इसलिए, जोगिंदर सिंह के मामले (उपरोक्त) में दिए गए फैसले पर इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ द्वारा फिर से विचार करने की आवश्यकता है।

(11) अब मैं अपने कारणों और प्रश्नों (ए), (बी) और (सी) के उत्तरों का खुलासा करूंगा जिन्हें बड़ी पीठ के विचार के लिए तैयार किया गया है।

(12) दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के एक मात्र विश्लेषण और अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि निचली अदालत द्वारा दोषसिद्धि दर्ज किए जाने के बाद जिस दिन सजा सुनाई जाती है, उसी दिन से सजा शुरू होनी चाहिए। धारा 428 Cr.P.C के तहत निर्धारित कानून का अधिदेश यह है कि मुकदमे के दौरान हिरासत की अवधि सजा में से कम किया जाना है।हालाँकि, इसे सजा के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।इसलिए, छूट उन्हें मुकदमे के दौरान हिरासत की अवधि को नहीं दिया जाना

है; छूट केवल उस दिन से दिया जाना है जिस दिन सजा शुरू होती है और फिर दोषसिद्धि दर्ज की जाती है।

(13) वर्तमान याचिका में उठाया गया विवाद नया नहीं है।यह 'सरकार' में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष **आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य बनाम ऐनी वेंकटेश्वर और अन्य** '(1)विचार के लिए आया था। **जैसा कि जोगिंदर सिंह के मामले (ऊपर) में व्याख्या की गई है,** आंध्र प्रदेश के **उच्च** न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया थाः

> "धारा 428 स्पष्ट रूप से आदेश देती है कि अभियुक्त व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने पर लगाए गए कारावास की अवधि के खिलाफ रिमांड हिरासत को समाप्त कर दिया जाएगा।इस धारा में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस तरह के दोषी ठहराए जाने पर कारावास से गुजरने का दायित्व उस पर लगाए गए कारावास की अवधि के शेष, यदि कोई हो, तक सीमित होगा।दूसरे शब्दों में, अधिनियम विचाराधीन हिरासत या रिमांड हिरासत को दोषसिद्धि पर कारावास के बराबर बताता है।यह प्रावधान, कई शब्दों में, रिमांड हिरासत को दोषसिद्धि के बाद कारावास की अवधि के हिस्से के रूप में मानता है।यदि दोषसिद्धि के बाद कारावास के लिए छूट दी जाती है, तो कोई प्रशंसनीय या समझने योग्य कारण नहीं है कि इसे रिमांड अवधि के लिए क्यों अस्वीकार किया जाना चाहिए, जब अधिनियम दोनों के बराबर है।"

(14) उपरोक्त टिप्पणी करने के बाद, आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जिस अवधि के लिए अभियुक्त पुलिस या न्यायिक हिरासत में रहा, उस अवधि के लिए अभियुक्त के लिए छूट उपलब्ध या अनुमेय है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐनी वेंकटेश्वर के मामले (उपरोक्त) में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए कानून की व्याख्या पर विचार करते हुए इसे अस्वीकार कर दिया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

> "5. हम इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को सही नहीं मानते हैं।दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 428 इन शब्दों में हैः

‘428.अभियुक्त द्वारा बिताए गए हिरासत की अवधि कारावास की सजा के विरुद्ध निर्धारित की जाएगी-जहाँ एक अभियुक्त व्यक्ति को,दोषी ठहराए जाने

---

(1) 1977 (3) एस सी सी 298

पर, उसी मामले की जांच, अनुसन्धान या मुकदमे के दौरान और ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से पहले उसके द्वारा बिताए गए हिरासत की अवधि, यदि कोई हो, के लिए की सजा सुनाई गई है, तो उस पर लगाए गए कारावास की अवधि के खिलाफ निर्धारित किया जाएगा और ऐसे दोषसिद्धि पर कारावास से गुजरने का दायित्व उस पर लगाए गए कारावास की अवधि के शेष, यदि कोई हो, तक सीमित होगा।’

धारा 428 में प्रावधान है कि एक विचाराधीन कैदी के रूप में एक आरोपी की नजरबंदी की अवधि दोषसिद्धि पर उस पर लगाए गए कारावास की अवधि के खिलाफ निर्धारित की जाएगी।यह खंड केवल "बंद करने"का प्रावधान करती है, यह "विचाराधीन हिरासत या रिमांड हिरासत को दोषसिद्धि पर कारावास के साथ"नहीं जोड़ती है।बंद करने का प्रावधान एक विधायी नीति को व्यक्त करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह दो प्रकार के निरोध में अंतर को दूर करता है और उन्हें सभी उद्देश्यों के लिए एक ही आधार पर रखता है।इसलिए, उच्च न्यायालय के फैसले का आधार सही नहीं लगता है।”

(15) इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जोगिंदर सिंह का मामला (ऊपर) कानून की सही स्थिति नहीं बताता है और यह ऐनी वेंकटेश्वर के मामले (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत है।

(16) तैयार किए गए उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा 'सैकी मजार और अन्य बनाम बी. एन. पटेल और अन्य' 1989 Cri.L.J. 1257 में भी निम्नलिखित दिया गया है।

"8. हमारे निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त दो निर्णय श्री सरदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों का पूर्ण उत्तर हैं।विचाराधीन कैदी और दोषी कैदी एक अलग वर्गीकरण करते हैं और संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों को आकर्षित नहीं कर सकते हैं।अनुच्छेद 14 जिस चीज को वर्जित करता है वह वर्ग विधान है और विधान के प्रयोजनों के लिए उचित वर्गीकरण नहीं है।यदि विधानमंडल विधायी उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को यथोचित रूप से वर्गीकृत करने का ध्यान रखता है और

यदि यह एक 'अच्छी तरह से परिभाषित वर्ग' से संबंधित सभी व्यक्तियों के साथ समान रूप से व्यवहार करता है, तो यह इस आधार पर समान संरक्षण से इनकार करने के आरोप के लिए खुला नहीं है कि कानून अन्य व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है।तथापि, अनुज्ञेय वर्गीआदेशण की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए दो शर्तों को पूरा आदेशना आवश्यक है, अर्थात्, (i) वर्गीआदेशण को एक बोधगम्य अंतर पर आधारित होना चाहिए जो उन व्यक्तियों या चीजों को अलग आदेशता है जो समूह से बाहर रखे गए अन्य लोगों से एक साथ समूहीकृत हैं, और (ii) उस अंतर का उस उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए जिसे प्रश्नगत अधिनियम द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए।आवश्यक बात यह है कि वर्गीकरण के आधार और विचाराधीन अधिनियम के उद्देश्य के बीच एक संबंध होना चाहिए।अनुच्छेद 14 इस बात पर जोर नहीं देता है कि विधायी वर्गीकरण वैज्ञानिक रूप से परिपूर्ण या तार्किक रूप से पूर्ण होना चाहिए।जो अंतर एक उचित वर्गीकरण की गारंटी देगा, वह बहुत बड़ा होने की आवश्यकता नहीं है।आवश्यकता यह है कि यह वास्तविक और सारवान होना चाहिए और इसका विधान के उद्देश्य के साथ कुछ न्यायसंगत और उचित संबंध होना चाहिए।जब किसी कानून को समान संरक्षण से इनकार करने के रूप में चुनौती दी जाती है, तो न्यायालय द्वारा निर्धारण के लिए सवाल यह नहीं है कि क्या इसके परिणामस्वरूप असमानता हुई है, बल्कि यह है कि क्या कोई अंतर है जो कानून के उद्देश्य के साथ न्यायसंगत और उचित संबंध रखता है।केवल भेदभाव या व्यवहार की असमानता अपने आप में समान संरक्षण खंड के

अवरोध के भीतर भेदभाव के बराबर नहीं है।खंड के संचालन को आकर्षित करने के लिए यह दिखाना आवश्यक है कि चयन या भेदभाव अनुचित है।

9. विचाराधीन कैदी एक अलग श्रेणी है जो दोषी कैदियों से अलग है।केवल इसलिए कि c.r.P.c. की धारा 428 में जाँच, जाँच या मुक़दमे के दौरान की गई नज़रबंदी की अवधि को समाप्त करने का प्रावधान है, इसलिए यह एक विचाराधीन नज़रबंदी या रिमांड नज़रबंदी को दोषसिद्धि पर कारावास के बराबर नहीं कर सकता है।निष्कासन के बारे में प्रावधान एक विधायी नीति को व्यक्त करता है लेकिन यह दो प्रकार के निरोध में अंतर को दूर नहीं कर सकता है और उन्हें सभी उद्देश्यों के लिए एक ही आधार पर नहीं रख सकता है।इसके अलावा, जैसा कि उपरोक्त छूट प्रणाली नियम आर. 3 में दिया गया है,

छूट केवल रियायत के रूप में दी जाती है न कि अधिकार के रूप में।इसलिए, इस आधार पर भी संविधान के अनुच्छेद 14 का कोई सहारा नहीं लिया जा सकता है।मामले के इस दृष्टिकोण में, यह अभिनिर्धारित करना होगा कि वर्तमान याचिका किसी भी योग्यता से रहित है और खारिज किए जाने के योग्य है।"

(17) साईकी मजार के मामले (ऊपर) में बंबई उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा की गई कानून की आधिकारिक घोषणा को देखते हुए, मेरा विचार है कि राज्य जेल विभाग ने याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सजा के एक-चौथाई हिस्से तक छूट को ठीक सीमित कर दिया है।

(18) पंजाब जेल नियमावली के पैरा सं. 645 की वैधता के बारे में एक और तर्क उठाया गया है।पंजाब जेल नियमावली के पैरा सं. 645 को पुनः प्रस्तुत करना यहाँ उपयुक्त होगा। जो नीचे पढ़ा गया हैः

"पैरा 645 कुल माफ़ी सजा के एक चौथाई हिस्से से अधिक नहीं-इन सभी नियमों के तहत एक कैदी को दी गई कुल माफी स्थानीय सरकार की विशेष मंजूरी के बिना, उसकी सजा के एक चौथाई हिस्से से अधिक नहीं होगी।बशर्ते

कि प्रत्येक असाधारण और उपयुक्त मामलों में जेल महानिरीक्षक कुल सजा के एक तिहाई से अधिक राशि की छूट दे सकता है।"

(19) कानून के तीन अलग-अलग प्रावधानों के तहत सजा काट रहे आरोपी को छूट दी जाती है।अभियुक्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत भी छूट के हकदार हैं। धारा 432 Cr.P.C के तहत छूट दी जा सकती है और जेल नियमावली के पैरा संख्या 635 (2), 639,644 के तहत भी छूट दी जा सकती है।एक बार जब कोई व्यक्ति जेल नियमावली के तहत लाभ मांगता है, तो जेल नियमावली को समग्र रूप से लिया जाना चाहिए और यह नहीं कहा जा सकता है कि पैरा संख्या 645 के तहत लगाए गए प्रतिबंध जेल नियमावली के अन्य हिस्सों को नियंत्रित नहीं करेंगे जो छूट प्रदान करते हैं।इसलिए, श्री औलख द्वारा यह तर्क दिया गया कि इस न्यायालय को पैरा संख्या 645 को संविधान के अधिकारातीत घोषित करना चाहिए, कानून की नजर में कायम नहीं किया जा सकता है।

(20) चूँकि मैंने जोगिंदर सिंह के मामले (उपरोक्त) में तैयार किए गए दृष्टिकोण के साथ अपने मतभेद दर्ज किए हैं, इसलिए मामले को कानून के प्रतिपादन के लिए एक बड़ी पीठ के समक्ष रखा जाए ताकि विवाद का हमेशा के लिए निपटारा किया जा सके।

(21) चूंकि इस प्रकार के कई मामले सूचीबद्ध किए जा रहे हैं, इसलिए इस मामले को माननीय मुख्य न्यायाधीश से उचित आदेश प्राप्त करने के बाद जल्द से जल्द प्रस्ताव सुनवाई में संबंधित खण्ड पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।

(22) इस निर्देश आदेश की एक प्रति सभी पुलिस महानिदेशकों (जेलों), पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को भेजी जाए ताकि समान प्रकृति के मामलों में, जब तक निर्देश का निर्णय नहीं हो जाता, तब तक आगे के आदेशों प्रास्थगन रखा जा सके।

(23) इस न्यायालय के सचिव द्वारा विधिवत सत्यापित इस आदेश की एक प्रति हरियाणा राज्य, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के वकील को भी सौंपी जाए।

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देस्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा|

हुकम सिंह,
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त)

जे. एस. मेहंदीरत्ता रंजन गगोई से पहले, सी. जे. और के. एस. अहलूवालिया, जे.

निरभाई सिंह,-याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब राज्य,-2005 का उत्तरदाता सी. डब्ल्यू. पी. 7036

14नवंबर, 2011

भारत का संविधान, 1950-कला 226/227-जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974-धारा 33-पर्यावरण कानून-जनहित याचिका-पंजाब के लुधियाना जिले द्वारा बहने वाली और सतलुज नदी में मिल जाने वाली बुद्धा नाले की मौसमी जल-धारा का संदूषण-कैद्वारा प्रदूषण मुक्त बनाया जाए?- बुद्धा नाला को तेजी से,

अव्यवस्थित और अनियोजित औद्योगिक विकास के दुष्प्रभावों से मुक्त करने के लिए एक व्यापक योजना और रणनीति विकसित करते हुए-सरकारी उदासीनता का शिकार बुद्धा नाला-ने देखा कि जब तक लुधियाना के शहरी जीवन में सुधार नहीं होता, तब तक बुद्धा नाला को बचाया नहीं जा सकता है।

आयोजित, कि औद्योगीकरण और तकनीकी प्रगति ने प्रदूषण और क्षरण के मामले में पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाला था, और कचरे के भंडार के संचय के कारण पर्यावरण प्रणाली पर जोर दिया था।जल, वायु और वायुमण्डल का प्रदूषण इसके उप-उत्पाद हैं।